Env.

02

# राजस्थान सरकार
## वन विभाग

क्रमांकः– प 10(3) वन/2019

APCCF(FP)

जयपुर, दिनांकः– 29 MAY 2019

## परिपत्र

7/6/19

राजस्थान राज्य मरूस्थलीय प्रदेश है, जहां विषम भौगोलिक परिस्थितियां यथा भीषण गर्मी, अत्यधिक सर्दी एवं वर्षाभाव आदि के कारण बहुत कम प्राकृतिक वृक्ष पनप पाते हैं। राजस्थान वन अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1965 में राजस्थान राज्य में कुछ वृक्ष प्रजातियों के कटान एवं परिवहन पर छूट प्रदान की गई है। प्रायः देखने में आया है कि छूट प्रदत्त प्रजातियों की आड़ में अन्य वृक्षों के साथ, खेजड़ी जो कि राजस्थान राज्य का '**राज्य वृक्ष**' है, का भी कटान हो रहा है। खेजड़ी थार रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पतियों में एक अति महत्वपूर्ण वृक्ष है तथा यह थार मरूस्थल के निवासियों की संस्कृति का अभिन्न अंग है।

14 58
10/6/19

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(33)/राज.8/77 दिनांक 31.10.1983 द्वारा खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान का '**राज्य वृक्ष**' घोषित किया हुआ है। राजस्व भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1965 एवं राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत वृक्षों का कटान प्रतिबन्धित है।

विभिन्न प्रजातियों के साथ–साथ खेजडी, जो राज्य का '**राज्य वृक्ष**' घोषित है तथा जिसका राज्य के लिये एक विशेष महत्व है, के अवैध कटान को रोकने हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते हैं।

1. समस्त उप वन संरक्षक वन क्षेत्रों से विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के अवैध कटान को रोकने के लिये उनके वन मण्डल अधीन वन क्षेत्रों का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे एवं यथा सम्भव उनके अधीन वन कर्मियों को इन प्रजातियों के अवैध कटान को रोकने के लिये स्वयं के स्तर से भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे।
2. गैर वन क्षेत्र से विभिन्न प्रजातियों के पातन उपरांत बगैर सक्षम स्तर से जारी पारपत्र के अभाव में अवैध कटान को रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1965 व राजस्थान वन अधिनियम, 1953 इत्यादि के तहत अवैध कटान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावें।
3. समस्त उप वन संरक्षक उनके क्षेत्राधिकार में संचालित आरा मशीनों का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे एवं संबंधित आरा मशीन मालिकों को इस बाबत पाबंद करेंगें कि वे किसी भी स्थिति में छूट प्रदत्त वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष का चिरान/व्यापार नहीं करेंगें जो कि अवैध रूप से उनके आरा मशीन पर लाई गई हो तथा समस्त आरा मशीन मालिकों



12/6/19

को इस बाबत प्रेरित करेंगें कि वे लकड़ी के अवैध व्यापार से संबंधित सूचना उनके समीप के वन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें।

4. यदि किसी भी वन कर्मी के ध्यान में गैर वन क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष के कटान की घटना ध्यान में आती है तो इसकी जानकारी अविलम्ब स्थानीय प्रशासन को दिया जाना उस वन कर्मी की नैतिक जिम्मेदारी होगी।

हु0/-

(श्रेया गुहा)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, वनमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र की प्रति संबंधित वनाधिकारियों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करे।
5. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को दी जाकर निर्देशित है कि वे अपने स्तर से उनके अधीन समस्त राजस्व/पुलिस अधिकारियों को राजस्व भूमियों से खेजडी के अवैध कटान को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।
6. रक्षित पत्रावली।

(एस0के0 जैन)
शासन सचिव